Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ दौसा में ओम शिव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जिला दौसा के प्रिसिंपल को 5,000/—रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 25 जुलाई, शुक्रवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी दौसा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी राकेश कुमार चौबे पुत्र रामकरण चौबे प्रिसिंपल ओम शिव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जिला दौसा को **5,000/— रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी दौसा इकाई को एक शिकायत दिनांक 01.07.2025 को इस आशय की मिली कि परिवादिया के बीएड कॉलेज के प्रिसिंपल द्वारा प्रेक्टिकल में अच्छे नम्बर देने एवं उपस्थिति पूरी करने के लिए 6,000/— रूपये की रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर दिनांक 01.07.2025 को सत्यापन करवाये जाने पर प्रिसिंपल द्वारा 6,000 रूपये की मांग कर 5,000/— रूपये लेने पर सहमत हुआ।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी दौसा की **उप अधीक्षक पुलिस श्री नवल किशोर** के नेतृत्व में **पुलिस निरीक्षक श्री रमेश चन्द** ने आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी राकेश कुमार चौबे पुत्र रामकरण चौबे जाति ब्रहाण निवासी श्रीराम विहार कॉलोनी जगतपुरा रेल्वे स्टेशन के पास जयपुर हाल प्रिसिंपल ओम शिव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जिला दौसा को 5,000/— रूपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।